कार्यालय प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ।
पत्रांक 2923 / 14–10 ,अलीगढः दिनांकः मार्चः 22 ,2018

सेवामें,

मुख्य प्रबन्धक,
गुड़गांव पलवल पारेषण लाइन,
एफ 1, मीर कारपोरेट सूट, ईश्वर नगर,
मथुरा रोड़, नई दिल्ली–110065

विषयः– **अलीगढ़ में 400 के0वी0 डबल सर्किट अलीगढ़–प्रिथला पारेषण लाइन के निर्माण हेतु 0.1564 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैर–वानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 14 वृक्ष एवं 02 पौधों के पातन की अनुमति।**

सन्दर्भः– भारत सरकार, पर्यावरण एवं जलवायु मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय(मध्य) का पत्रांक 8बी / यूपी / 04 / 54 / 2017 / एफ0सी0 / 923 दिनांक 19.03.2018

भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय(मध्य क्षेत्र), लखनऊ के उपरोक्त संदर्भित पत्र द्वारा 400 के0वी0 डबल सर्किट अलीगढ़–प्रिथला पारेषण लाइन के निर्माण हेतु 0.1564 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैर–वानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 14 वृक्ष एवं 02 पौधों के पातन की सैद्धान्तिक स्वीकृति कतिपय शर्तों के अधीन दी गई है। उक्त पत्र में दी गयी शर्तों के अनुपालन एवं निर्देशों के कम में आपसे निम्नानुसार धनराशि एवं शर्तों सम्बन्धी कार्यवाही करने की मांग की जाती है।

शर्त सं0–1: प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन विभाग के पक्ष में प्रभावित वनभूमि के दुगने अवनत वनभूमि पर (0.1564x2=0.3128 ha.) अर्थात 0.3128 हे0 पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि रू– 226275 / – (दो लाख छब्बीस हजार दो सौ पच्चत्तर मात्र) ई–पोर्टल द्वारा उत्पन्न चालान द्वारा कैम्पा, नई दिल्ली में जमा की जायेगी।

शर्त सं0–2: प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन विभाग के पक्ष में प्रस्तावित पारेषण लाइन के नीचे बौने पौधों (मुख्यतः औषधीय पौधें) के रोपण एवं 10 वृक्षों तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि रू– 188325 / – (एक लाख अठासी हजार तीन सौ पच्चीस मात्र) ई–पोर्टल द्वारा उत्पन्न चालान द्वारा कैम्पा, नई दिल्ली में जमा की जायेगी।

शर्त सं0–3 (क) प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202 / 1995 के अन्तर्गत आई0ए0 संख्या 566 एवं भारत सरकार पत्र संख्या 5–3 / 2007–एफ0सी0 दिनांक 05.02. 2009 के तहत दिये गये निर्देशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) की निर्धारित धनराशि 6,26,000 / – की दर से 0.1564 X 6,26,000 = 97,906.00 (रू0– सत्तानवे हजार नौ सौ छः मात्र मात्र) ई–पोर्टल द्वारा उत्पन्न चालान द्वारा कैम्पा, नई दिल्ली में जमा की जायेगी।

(ख) इसके उपरान्त याचक विभाग द्वारा जमा की गयी धनराशि की पावती की छायाप्रति, जमा की गयी धनराशि की ऑन लाइन ई–रसीद की छायाप्रति सहित सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या (जिसमें जमा की गयी धनराशि का मदवार विवरण अर्थात् क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु जमा धनराशि का विवरण, दिया गया हो) प्रेषित की जाये, तदोपरान्त ही विधिवत् स्वीकृति पर भारत सरकार द्वारा विचार किया जायेगा।

(ग) प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचनवद्धता प्रमाण–पत्र (सक्षम स्तर द्वारा) प्रस्तुत करेंगें कियदि एन0पी0वी0 की धनराशि में बढ़ोत्तरी होती है तो बढ़ी हुई धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी। इस हेतु वचनवद्धता प्रमाण पत्र इस कार्यालय में 05 प्रतियों में (मूल हस्ताक्षर सहित) प्रस्तुत करें।

शर्त सं0–4: प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा विधिवत् स्वीकृति जारी होने के बाद प्रस्तावित वन क्षेत्र का सीमा स्तम्भों द्वारा सीमांकन प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर किया जायेगा। अक्षांश एवं देशान्तर भी मानचित्र एवं पिलर पर दर्शाया जायेगा और वन क्षेत्र में लगे प्रत्येक स्तम्भ के आगे (forward) एवं पीछे (backward) उनकी दिशा (bearing) भी लिखनी होगीं। इस आशय का वचनवद्धता प्रमाण पत्र इस कार्यालय में 05 प्रतियों में (मूल हस्ताक्षर सहित) प्रस्तुत करें।

शर्त सं0–5: प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मक डिस्पोजल योजना निर्धारित प्रारूप में 05 प्रतियों में प्रेषित करें, ताकि इसे प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा स्वीकृत कराकर, अनुपालन आख्या के साथ उच्च स्तर को भेजा जा सके।

शर्त सं0–6: प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचनवद्धता प्रमाण पत्र 05 प्रतियों में प्रस्तुत किया जाये कि प्रयोक्ता अभिकरण एवं राज्य सरकार भविष्य में लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा निर्देशों का पालन करेगी।

शर्त सं0–7: पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्र–11–306/2014–एफ0सी0(pt.) दिनांक 28.08.2015 द्वारा जारी दिशा निर्देशानुसार सैद्धान्तिक स्वीकृति जारी होने के उपरान्त सैद्धान्तिक स्वीकृति में उल्लिखित शर्तों के अनुपालनार्थ अर्थात क्षतिपूरक वृक्षारोपण, एन0पी0वी0, वन्यजीव संरक्षण योजना, बौने औषधीय पौधों के वृक्षारोपण हेतु एवं अन्य मद में जमा होने वाली धनराशि कैम्पा में जमा किये जाने के उपरान्त एवं गैर वन भूमि प्रत्यावर्तन के मामलों में गैर वन भूमि का वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण के उपरान्त प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रकरण में प्रस्तावित वृक्षों का पातन एवं कार्य आरम्भ किया जा सकता है।

उक्त प्रकरण में 400 के0वी0 डबल सर्किट अलीगढ़–प्रिथला पारेषण लाइन के निर्माण हेतु 0.1564 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैर–वानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 14 वृक्ष एवं 02 पौधों के पातन की सैद्धान्तिक स्वीकृति भारत सरकार के उक्त संदर्भित पत्र के माध्यम से निर्गत की जा चुकी है। उक्त प्रस्ताव में सम्मलित बाधक वृक्षों/पौधों का विवरण निम्नानुसार है।

क्रम सं0	जनपद	वृक्षों की सं0 (गर्थ >30 से0मी0)	पौधों की सं0 (गर्थ < 30 से0मी0)
1	अलीगढ	14	2

छपानः– बाधक वृक्षों के छपान हेतु धनराशि ***(प्रमुख वन संरक्षक, उ0प्र0 लखनऊ के पत्रांक–प–105/16–57 (लाट) दि0 23–9–2014 के बिन्दु सं0–2 में हुए संशोधन के अनुसार रू0 10/– प्रति वृक्ष के आधार पर) 6939 वृक्ष/पौधे दर 10/– रू0 प्रति वृक्ष/पौधे)*** रू0 160/– का बैंक ड्राफ्ट जो कि प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ़ के नाम देय हो प्रस्तुत करें।

उपरोक्त सभी शर्तो के परिपूर्ण एवं बिन्दुवार सुस्पष्ट परिपालन आख्या पत्रांक–II/FC/ROC/95-2011/Part-V/1227 दिनांक 02–02–2016 के अनुसार प्राप्त होने पर ही वन सरंक्षण अधिनियम 1980 के तहत विधिवत् स्वीकृति जारी की जायेगी।

कृपया उल्लिखित समस्त शर्तो का अनुपालन अतिशीघ्र करने का कष्ट करें ताकि शर्तो के परिपूर्ण एवं बिन्दुवार सुस्पष्ट अनुपालन आख्या भारत सरकार को प्रेषित की जा सके। अनुपालन आख्या के उपरान्त ही वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत् भारत सरकार द्वारा विधिवत् स्वीकृति जारी की जायेगी।

(एस0डी0 त्रिपाठी)
प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ़।

पत्रांक / दिनांकित।

प्रतिलिपिः– 1. मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0 लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

2. वन संरक्षक, अलीगढ़ वृत्त, अलीगढ़ को सूचनार्थ प्रेषित।

(एस0डी0 त्रिपाठी)
प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ़।

प्रस्तावित परियोजना का नाम– गुड़गांव पलवल ट्रांसमिशन लिमिटेड द्वारा सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ़ के अन्तर्गत अलीगढ़–पलवल रोड़ (एस0एच0–22ए) को कॉस करते हुए 400 के0वी0 डी0/सी0 अलीगढ़–प्रिथला पारेषण लाइन के निर्माण में प्रभावित होने वाली 0.1564 है0 संरक्षित वन भूमि संरक्षित वन भूमि की क्षतिपूर्ति हेतु 0.3128 है0 अवनत वनभूमि पर क्षतिपूरक वनीकरण का प्राक्कलन

रेंज का नाम– अलीगढ़ रेंज
स्थल का नाम– सिकन्दरपुर छेरत वन ब्लाक
क्षेत्रफल– 0.3128 है0
योजना– कैम्पा

विकास खण्ड– अकराबाद
पी0एच0 मान– 8.0
भूमि का प्रकार– ऊसर
गड्ढ़ों की संख्या– 195

(अ) प्रथम चरण– अग्रिम मृदा कार्य					
क0सं0	कार्य का विवरण	मात्रा	इकाई	दरप्रति	धनराशि (रू0में)
1	2	3	4	5	6
1	सवेक्षण एवं सीमांकन	0.3128	प्रति है0	67.90	21
2	रोपण क्षेत्र की सफाई	0.3128	प्रति है0	1076.25	337
3	मृदा परीक्षण	1	प्रति	392.00	392
4	गड्ढों का पंक्तिबंधन	195	प्रति गडढा	0.28	55
5	सुरक्षा खाई की निशानदेही	62.56	प्रति मी0	0.46	29
6	अर्थ ऑगर से गड्ढों का खुदान (1.20 m x 0.33 m x 23 सेमी0)	195	प्रति गडढा	12.21	2381
7	जिप्सम व बाले का कय व ढुलान	0.39	प्रति टन	3278.00	1278
8	सुरक्षा खाई का खुदान (1.20x1.00x0.90) मी0	62.56	प्रति मी0	70.00	4379
9	सिंचाई हेतु प्लास्टिक पाइप कय	7.8	प्रति मी0	63	491
10	सिंचाई हेतु डीजल पम्प कय	1	प्रति	44100	44100
11	अन्य व्यय	0.3128	प्रति है0	1100	344
	योग				**53807**
	द्वितीय चरण – वृक्षारोपण				
1	गोबर खाद कय– 2 किग्रा प्रति गडढा	390	प्रति गडढा	1.26	491
2	अर्थ ऑगर से खोदे गए गड्ढों में मृदा सुधारक, गोबर खाद, कीटनाशक दवा, बालू जिप्सम आदि मिलाकर गड्ढा भरान	195	संख्या	1.40	273
3	पौध का मूल्य (3 प्रतिशत अतिरिक्त)	201	प्रति पौध	70.00	14070
4	पौध ढुलान (10 किमी0 से 20 किमी0) (3 प्रतिशत अतिरिक्त)	201	प्रति पौध	17.50	3518
5	पौध का स्थानीय ढुलान	195	प्रति पौध	5.94	1158
6	पौधारोपण व थावला बनवायी व तुरन्त सिंचाई	195	प्रति पौध	4.90	956
7	पौधों की निराई गुडाई व मलीचिंग 2 बार– प्रथम अक्टूबर एवं द्वितीय फरवरी	390	प्रति पौध	1.12	437
8	पौधों की सिंचाई 12 बार (12X195)	2340	संख्या	2.89	6763
9	रासायनिक उर्वरक 1 बार	0.3128	एक मुश्त	600	188
10	सुरक्षा खाई पर दो लाइनों में बीज बुबान व दरेशी कार्य	62.56	संख्या	4.35	272
11	गड्ढों हेतु बालू का मूल्य व ढुलान (20 घ0मी0 प्रति है0)	1.950	प्रति घ0मी0	436.63	851
12	बीज का मूल्य (बबूल आदि)	0.3128	प्रति है0	551.25	172
13	कीटनाशक दवा का कय तथा मिलाना	195	प्रति पौध	0.037	7
14	वृक्षारोपण की देख–रेख हेतु श्रमिक (प्रति 8 है0 पर एक)	234	प्रति दिन	175.00	40950
15	वक्षारोपण बोर्ड बनाना, लिखाना तथा स्थल पर ले जाकर लगाना	1	संख्या	2500.00	2500
16	श्रमिक हट का निर्माण	1	संख्या	2600.00	2600
17	ट्रैक्टर आदि की मरम्मत आदि	0.3128	प्रति है0	755.40	236
18	अन्य व्यय	0.3128	प्रति है0	1100	344
	योग–				**75786**

रख–रखाव प्रथम वर्ष अनुरक्षण (तृतीय चरण)					
	10 % बीटिंग अप का प्राविधान				
1	मृत पौधों के स्थान पर नये पौधों के रोपण हेतु गड्ढ़ा खुदान	20	संख्या	12.21	244
2	मृत पौधों के स्थान पर नये पौधों के रोपण हेतु गड्ढ़ा भरान	20	संख्या	1.40	28
3	मृत पौधों के स्थान पर पुनः पौध रोपण हेतु पौध कय पर व्यय 10 प्रतिशत (3 प्रति अतिरिक्त) अनुमन्य क्षति	21	संख्या	70.00	1470
4	पौधों का ढुलान (3 प्रतिशत अतिरिक्त पौध) (10 किमी0 से 20 किमी0) (3 प्रतिशत् क्षति सहित) किराए के ट्रैक्टर द्वारा	21	संख्या	17.50	368
5	पौधों का स्थानीय ढुलान	20	संख्या	5.94	119
6	पौधारोपण, थावला बनाना,रोपण के बाद तुरन्त सिंचाई	20	संख्या	4.90	98
7	पुराने सफल पौधों की निराई–गुड़ाई तथा आवश्यकतानुसार थावला बनवाई 3 बार	585	संख्या	1.39	813
8	पौध की सिचाई 12 बार	2340	संख्या	2.89	6763
9	रासायनिक उर्वरक	0.3128	एक मुश्त	600.00	188
10	ट्रैक्टर आदि की मरम्मत आदि	0.3128	एक मुश्त	1100.00	344
11	वृक्षारोपण श्रमिक (प्रति है0 पर एक)	98	प्रति दिन	175	17150
12	अन्य व्यय	0.3128	प्रति है0	1100	344
			योग		**27928**
रख–रखाव द्वितीय वर्ष अनुरक्षण (चतुर्थ चरण)					
1	पौधों की सिंचाई 8 बार	1560	संख्या	2.89	4508
2	सफल पौधों की निराई–गुड़ाई 2 बार	390	संख्या	1.39	542
3	सुरक्षा खाई की फेशनिंग	62.56	ल0स0	0.87	54
	रासायनिक उर्वरक 6 से 12 फीट प्रथम वर्ष अनुरक्षण	0.3128	एक मुश्त	600.00	188
10	ट्रैक्टर, टैंकर आदि की मरम्मत आदि	0.3128	एक मुश्त	1100.00	344
4	वृक्षारोपण की देख–रेख हेतु श्रमिक (प्रति 5 है0 पर एक)	20	दिन	175	3500
5	अन्य व्यय	0.3128	प्रति है0	600.00	188
	योग–				**9324**
रख–रखाव तृतीय वर्ष अनुरक्षण (पचम चरण)					
1	पौधों की सिंचाई 4 बार	780	संख्या	2.89	2254
2	सफल पौधों की निराई–गुड़ाई 2 बार	390	संख्या	1.39	542
3	सुरक्षा खाई की फेशनिंग	62.56	ल0स0	0.87	54
4	क्षेत्रीय वन अधिकारी/उप प्रभागीय वनाधिकारी की देख–रेख में रोपित पौधों की आवश्यकतानुसार प्रूनिंग/छंटाई	59	प्रति पौध	5.75	339
5	प्रजातिवार, ऊंचाईवार एवं गोलाईवार जीवित पौधों की गणना एवं गणना पंजिका का रखरखाव	0.3128	प्रति है0	1500.00	469
6	वृक्षारोपण की देख–रेख हेतु श्रमिक (प्रति 5 है0 पर एक)	20	दिन	175	3500
7	अन्य व्यय	0.3128	प्रति है0	600.00	188
	योग–				**7347**
रख–रखाव चतुर्थ वर्ष अनुरक्षण (छठा चरण)					
1	पौधों की सिंचाई 4 बार	780	संख्या	2.89	2254
2	सुरक्षा खाई की फेशनिंग	62.56	प्रति मी0	0.87	54
3	प्रजातिवार, ऊंचाईवार एवं गोलाईवार जीवित पौधों की गणना एवं गणना पंजिका का रखरखाव	0.3128	प्रति है0	1500.00	469
4	वृक्षारोपण की देख–रेख हेतु श्रमिक (प्रति 5 है0 पर एक)	20	दिन	175.00	3500
5	अन्य व्यय	0.3128	प्रति है0	600.00	188
	योग–				**6466**
रख–रखाव पंचम वर्ष अनुरक्षण (सातवां चरण)					
1	पौधों की सिंचाई 4 बार	780	संख्या	2.89	2254
2	सुरक्षा खाई की फेशनिंग	62.56	प्रति मी0	0.87	54
3	क्षेत्रीय वन अधिकारी/उप प्रभागीय वनाधिकारी की देख–रेख में रोपित पौधों की आवश्यकतानुसार प्रूनिंग/छंटाई	59	प्रति पौध	5.75	339
4	प्रजातिवार, ऊंचाईवार एवं गोलाईवार जीवित पौधों की गणना एवं गणना पंजिका का रखरखाव	0.3128	प्रति है0	1500.00	469
5	वृक्षारोपण की देख–रेख हेतु श्रमिक (प्रति 5 है0 पर एक)	20	दिन	175.00	3500
6	अन्य व्यय	0.3128	प्रति है0	600.00	188
	योग–				**6805**

रख–रखाव षष्टम वर्ष अनुरक्षण (आठवां चरण)					
1	पौधों की सिंचाई 4 बार	780	संख्या	2.89	2254
2	वृक्षारोपण की देख–रेख हेतु श्रमिक (प्रति 16 है0 पर एक)	20	दिन	175.00	3500
3	प्रजातिवार, ऊंचाईवार एवं गोलाईवार जीवित पौधों की गणना एवं गणना पंजिका का रखरखाव	0.3128	प्रति है0	1500.00	469
4	अन्य व्यय	0.3562	प्रति है0	600.00	214
	योग–				**6437**
रख–रखाव सप्तम वर्ष अनुरक्षण (नवां चरण)					
1	वृक्षारोपण की देख–रेख हेतु श्रमिक (प्रति 5 है0 पर एक)	20	दिन	175.00	3500
2	प्रजातिवार, ऊंचाईवार एवं गोलाईवार जीवित पौधों की गणना एवं गणना पंजिका का रखरखाव	0.3128	प्रति है0	1000.00	313
3	अन्य व्यय	0.3128	प्रति है0	600.00	188
	योग–				**4000**
रख–रखाव आठवां वर्ष अनुरक्षण (दसवां चरण)					
1	वृक्षारोपण की देख–रेख हेतु श्रमिक (प्रति 8 है0 पर एक)	12	दिन	175.00	2100
2	प्रजातिवार, ऊंचाईवार एवं गोलाईवार जीवित पौधों की गणना एवं गणना पंजिका का रखरखाव	0.3128	प्रति है0	1000.00	313
3	अन्य व्यय	0.3128	प्रति है0	600.00	188
	योग–				**2600**
रख–रखाव नवां वर्ष अनुरक्षण (ग्यारवां चरण)					
1	वृक्षारोपण की देख–रेख हेतु श्रमिक (प्रति 8 है0 पर एक)	12	दिन	175.00	2100
2	प्रजातिवार, ऊंचाईवार एवं गोलाईवार जीवित पौधों की गणना एवं गणना पंजिका का रखरखाव	0.3128	प्रति है0	1000.00	313
3	अन्य व्यय	0.3128	प्रति है0	600.00	188
	योग–				**2600**
रख–रखाव दसवां वर्ष अनुरक्षण (बाहरवां चरण)					
1	वृक्षारोपण की देख–रेख हेतु श्रमिक (प्रति 8 है0 पर एक)	12	दिन	175.00	2100
2	प्रजातिवार, ऊंचाईवार एवं गोलाईवार जीवित पौधों की गणना एवं गणना पंजिका का रखरखाव	0.3128	प्रति है0	1000.00	313
3	अन्य व्यय	0.3128	प्रति है0	600.00	188
	योग–				**2600**

	सांराशः–	कुल व्यय	10 प्रतिशत वर्षवार अनुमानित वद्धि	कुल अनुमानित लागत
	प्रथम चरण अग्रिम मृदा कार्य–	53807	5380	**59187**
	द्वितीय चरण वृक्षारोपण–	75786	7579	**83365**
	तृतीय चरण रख–रखाव प्रथम वर्ष अनुरक्षण–	27928	2799	**30727**
	चतुर्थ चरण रख–रखाव द्वितीय वर्ष अनुरक्षण–	9324	932	**10256**
	पंचम चरण रख–रखाव तृतीय वर्ष अनुरक्षण–	7347	734	**8081**
	छठा चरण रख–रखाव चतुर्थ वष अनुरक्षण–	6466	647	**7113**
	सातवा चरण रख–रखाव पंचम वर्ष अनुरक्षण–	6805	680	**7485**
	अष्ठम चरण रख–रखाव छठम वर्ष अनुरक्षण–	6437	644	**7081**
	नवां चरण रख–रखाव सातवां वष अनुरक्षण–	4000	400	**4400**
	दसवां चरण रख–रखाव आठवां वर्ष अनुरक्षण–	2600	260	**2860**
	ग्यारवां चरण रख–रखाव नवां वष अनुरक्षण–	2600	260	**2860**
	बारहवां चरण रख–रखाव दसवां वष अनुरक्षण–	2600	260	**2860**
	योगः–	**205700**	20575	**226275**
	कुल अनुमानित लागत–		226275	

Divisional Director
Social Forestry Divisio
Aligarh

प्रस्तावित परियोजना का नाम– गुड़गांव पलवल ट्रांसमिशन लिमिटेड द्वारा सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ़ के अन्तर्गत अलीगढ़–पलवल रोड़ (एस0एच0–22ए) को कॉस करते हुए 400 के0वी0 डी0/सी0 अलीगढ़–प्रिथला पारेषण लाइन के निर्माण में प्रभावित होने वाली 0.1564 है0 संरक्षित वन भूमि में पारेषण लाइन के नीचे बौने एवं औषधीय पौधों के रोपण का प्राक्कलन

प्रभाग का नाम:– अलीगढ़।

क्षेत्रफल– 0.1564 है0

भूमि का प्रकार– सामान्य भूमि

पौधों की संख्या:– 98

प्रथम चरण– अग्रिम मृदा कार्य

क0सं0	कार्य का विवरण	मात्रा	इकाई	दरप्रति	धनराशि (रू0में)
1	2	3	4	5	6
1	क्षेत्र का सर्वेक्षण एवं सीमांकन	0.1564	हे0	48.98	8
1	क्षेत्र की झाड़ी सफाई	0.1564	हे0	306.21	48
	मृदा परीक्षण	1	प्रति	390.00	390
2	गड्ढों का पंक्ति बंधन	98	संख्या	0.31	30
3	गड्ढा खुदान (60x60x60) सेमी0	98	प्रति गड्ढा	17.50	1715
4	आर0सी0सी0 खम्भों का क्य कर सहित	78	प्रति खम्भा	404.00	31512
5	कांटेदार तार का क्य व ढुलान	0.14	मै0टन	84892.50	11885
7.	अन्य व्यय	0.1564	प्रति है0	1100.00	172
	योग–				**45760**
	द्वितीय चरण – वृक्षारोपण				
1	गड्ढों का भरान	98	संख्या	1.4	137
2	गढ्ढों में कीटनाशक दवा/उर्वरक लगाना	98	संख्या	0.13	13
3	गोबर खाद, कीटनाशक दवा मिलाकर गड्ढों का भरान	98	संख्या	9.92	972
4	पौध का मूल्य 3 प्रतिशत अतिरिक्त पौध	101	संख्या	70.00	7070
5	तार–बाड़ का कार्य				
	अ– आर0सी0सी0 खम्भों की ग्राउटी 6:3:1 सीमेंट कंक्रीट	78	संख्या	196.00	15288
	ब– खम्भों का स्थानीय ढुलान	78	संख्या	3.29	257
	स– तार की खिंचाई	1955	प्रति मी0	0.85	1662
6	पौध का ढुलान (3 प्रतिशत अतिरिक्त पौध)	101	संख्या	17.50	1768
7	पौधों का स्थानीय ढुलान	98	संख्या	5.94	582
8	पौधारोपण, थावला बनाना,रोपण के बाद तुरन्त सिंचाई	98	संख्या	4.9	480
9	पौधों की सिंचाई अक्टूबर से मार्च तक 9 बार (9X98)	882	संख्या	2.89	2549
10	पौधों की निराई गुडाई 2 बार	196	संख्या	1.12	219.52
11	वृक्षारोपण श्रमिक (जुलाई से माच)	234	प्रति माह	175.00	40950
12	वक्षारोपण बोर्ड बनाना, लिखाना तथा स्थल पर ले जाकर लगाना	1	संख्या	2500.00	2500
13	रासायनिक उर्वरक,कीटनाशक का प्रयोग मूल्य सहित	0.1564	प्रति	600.00	800
14	विभागीय टैक्टर व टेंकर की मरम्मत सर्विसिंग सहित	0.1564	प्रति	750.00	117
15	अन्य व्यय	0.156	प्रति है0	1100.00	172
	योग–				**75399**
	रख–रखाव प्रथम वर्ष अनुरक्षण (तृतीय चरण)				
	10 % बीटिंग अप का प्राविधान				
1	मृत पौधों के स्थान पर नये पौधों के रोपण हेतु गड्ढा खुदान	10	संख्या	17.50	175
2	मृत पौधों के स्थान पर नये पौधों के रोपण हेतु गड्ढा भरान	10	संख्या	1.40	14
3	मृत पौधों के स्थान पर पुनः पौध रोपण हेतु पौध क्य (5 प्रति अतिरिक्त) अनुमन्य क्षति	11	संख्या	70.00	770
4	पौधों का ढुलान (3 प्रतिशत अतिरिक्त पौध) (21 किमी0 से 60 किमी0) (3 प्रतिशत् क्षति सहित) किराए के ट्रैक्टर द्वारा	11	संख्या	17.50	193
5	पौधों का स्थानीय ढुलान	10	संख्या	5.94	59
6	पौधारोपण, थावला बनाना,रोपण के बाद तुरन्त सिंचाई	10	संख्या	4.90	49
7	सिंचाई विभागीय टैंकर व टेंकर द्वारा डीजल आदि के मूल्य सहित, 12 बार	1176	प्रति पौध	2.89	3399
8	पौधों की निराई गुडाई 3 बार	294	संख्या	1.12	329
9	टूटी तारबाड़ की मरम्मत		लमसम		5000
10	रासायनिक उर्वरक,कीटनाशक का प्रयोग मूल्य सहित	एक मुश्त	प्रति	600.00	600
11	विभागीय टैक्टर व टेंकर की मरम्मत सर्विसिंग सहित	एक मुश्त	प्रति	750.00	750
12	वृक्षारोपण की देख–रेख हेतु श्रमिक (प्रति है0 पर एक)	49	प्रति दिन	175.00	8575
13	अन्य व्यय–	0.156	प्रति है0	1100.00	172
	योग–				**20085**

	रख–रखाव द्वितीय वर्ष अनुरक्षण (चतुर्थ चरण)				
1	पौधों की सिंचाई 8 बार	784	संख्या	2.89	2266
2	सफल पौधों की निराई–गुड़ाई 2 बार	196	संख्या	1.12	220
3	रासायनिक उर्वरक 8 से 12 फीट	0.1564	प्रति है0	600.00	94
4	तारबाड़ की मरम्मत आदि	0.1564	प्रति है0	1100.00	172
5	ट्रैक्टर, टैंकर आदि की मरम्मत आदि	0.1564	प्रति है0	750.00	117
6	वृक्षारोपण की देख–रेख हेतु श्रमिक (प्रति 5 है0 पर एक)	10	प्रति दिन	175	1750
8	अन्य व्यय	0.156	प्रति है0	600	94
	योग–				**4712**
	रख–रखाव तृतीय वर्ष अनुरक्षण (पंचम चरण)				
1	पौधों की सिंचाई 6 बार	588	संख्या	2.89	1699
2	पौधों की निराई–गुड़ाई. 2 बार	196	संख्या	1.12	220
3	तारबाड़ की मरम्मत आदि	0.1564	प्रति है0	1100.00	172
4	प्रजातिवार, उंचाईवार एवं गोलाईवार जीवित पौधों की गणना एवं गणना पंजिका का रखरखाव	0.1564	प्रति है0	1000.00	156
5	वन क्षेत्राधिकारी / उप प्रभागीय वनाधिकारी की देख–रेख में प्रूनिंग / छंटाई	30	प्रति पौध	5.95	179
6	ट्रैक्टर, टैंकर आदि की मरम्मत आदि	0.1564	प्रति है0	750.00	117
7	वृक्षारोपण की देख–रेख हेतु श्रमिक (प्रति 5 है0 पर एक)	10	प्रति दिन	175	1750
8	अन्य व्यय	0.156	प्रति है0	600	94
	योग–				**4387**
	रख–रखाव चतुर्थ वर्ष अनुरक्षण (छठा चरण)				
1	पौधों की सिंचाई 6 बार	588	संख्या	2.89	1699
2	तारबाड़ की मरम्मत आदि	0.1564	प्रति है0	1100.00	172
3	प्रजातिवार, उंचाईवार एवं गोलाईवार जीवित पौधों की गणना एवं गणना पंजिका का रखरखाव	0.1564	प्रति है0	1000.00	156
4	सुरक्षा हेतु वाचर (प्रति 5 है0 पर एक)	10	प्रति दिन	175	1750
5	अन्य व्यय	0.1564	प्रति है0	600.00	94
	योग–				**3872**
	रख–रखाव पंचम वर्ष अनुरक्षण (सातवां चरण)				
1	पौधों की सिंचाई 5 बार	490	संख्या	2.89	1416
2	तारबाड़ की मरम्मत आदि	0.1564	प्रति है0	1100.00	172
3	प्रजातिवार, उंचाईवार एवं गोलाईवार जीवित पौधों की गणना एवं गणना पंजिका का रखरखाव	0.1564	प्रति है0	1000.00	156
4	सुरक्षा हेतु वाचर (प्रति 5 है0 पर एक)	10	प्रति दिन	175.00	1750
5	अन्य व्यय	0.1564	प्रति है0	600.00	94
	योग–				**3588**
	रख–रखाव षष्टम वर्ष अनुरक्षण (आठवां चरण)				
1	पौधों की सिंचाई 5 बार	490	संख्या	2.89	1416
2	प्रजातिवार, उंचाईवार एवं गोलाईवार जीवित पौधों की गणना एवं गणना पंजिका का रखरखाव	0.1564	प्रति है0	1000.00	156
3	सुरक्षा हेतु वाचर (प्रति 5 है0 पर एक)	10	प्रति दिन	175.00	1750
4	अन्य व्यय	0.1564	प्रति है0	600.00	94
	योग–				**3416**
	रख–रखाव सातवां वर्ष अनुरक्षण (नवां चरण)				
1	पौधों की सिंचाई 4 बार	392	संख्या	2.89	1133
2	प्रजातिवार, उंचाईवार एवं गोलाईवार जीवित पौधों की गणना एवं गणना पंजिका का रखरखाव	0.1564	प्रति है0	1000.00	156
3	सुरक्षा हेतु वाचर (प्रति 5 है0 पर एक)	10	प्रति दिन	175.00	1750
4	अन्य व्यय	0.1564	प्रति है0	600.00	94
	योग–				**3133**
	रख–रखाव आठवां वर्ष अनुरक्षण (दसवां चरण)				
1	पौधों की सिंचाई 3 बार	294	संख्या	2.89	850
1	प्रजातिवार, उंचाईवार एवं गोलाईवार जीवित पौधों की गणना एवं गणना पंजिका का रखरखाव	0.1564	प्रति है0	1000.00	156
2	सुरक्षा हेतु वाचर (16 है0 पर एक)	10	प्रति दिन	175.00	1750
3	अन्य व्यय	0.1564	प्रति है0	600.00	94
	योग–				**2850**

रख–रखाव नवां वर्ष अनुरक्षण (ग्यारवां चरण)					
1	प्रजातिवार, उंचाईवार एवं गोलाईवार जीवित पौधों की गणना एवं गणना पंजिका का रखरखाव	0.1564	प्रति है0	1000.00	156
2	सुरक्षा हेतु वाचर (16 है0 पर एक)	10	प्रति दिन	175.00	1750
3	अन्य व्यय	0.1564	प्रति है0	600.00	94
	योग–				**2000**
रख–रखाव दसवां वर्ष अनुरक्षण (बारहवां चरण)					
1	प्रजातिवार, उंचाईवार एवं गोलाईवार जीवित पौधों की गणना एवं गणना पंजिका का रखरखाव	0.1564	प्रति है0	1000.00	156
2	सुरक्षा हेतु वाचर (16 है0 पर एक)	10	प्रति दिन	175.00	1750
3	अन्य व्यय	0.1564	प्रति है0	600.00	94
	योग–				**2000**

सारांशः–	कुल व्यय	10 प्रतिशत वर्षवार अनुमानित वद्धि	कुल अनुमानित लागत
प्रथम चरण अग्रिम मृदा कार्य–	45760	4576	**50336**
द्वितीय चरण वृक्षारोपण–	75399	7540	**82939**
तृतीय चरण रख–रखाव प्रथम वर्ष अनुरक्षण–	20085	2009	**22094**
चतुर्थ चरण रख–रखाव द्वितीय वर्ष अनुरक्षण–	4712	472	**5184**
पंचम चरण रख–रखाव तृतीय वर्ष अनुरक्षण–	4387	439	**4826**
छठा चरण रख–रखाव चतुर्थ वष अनुरक्षण–	3872	387	**4259**
सातवा चरण रख–रखाव पंचम वर्ष अनुरक्षण–	3588	359	**3947**
अष्ठम चरण रख–रखाव छठम वर्ष अनुरक्षण–	3416	342	**3758**
नवां चरण रख–रखाव सातवां वष अनुरक्षण–	3133	314	**3447**
दसवां चरण रख–रखाव आठवां वर्ष अनुरक्षण–	2850	285	**3135**
ग्यारवह चरण रख–रखाव नवां वष अनुरक्षण–	2000	200	**2200**
बारहवां चरण रख–रखाव दसवां वष अनुरक्षण–	2000	200	**2200**
योगः–	**171202**	17123	**188325**
कुल अनुमानित लागत–		188325	

प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी प्रभाग,
अलीगढ़।